Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana
26-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, FEBRUARY 19, 2024 (MAGHA 30, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 19th February, 2024

No. 3-HLA of 2024/4/4461.— The Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Bill, 2024 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 3-HLA of 2024

THE HARYANA ANTRARASHTRIYA GITA JYANTI MELA AUTHORITY BILL, 2024

A

BILL

to provide for the establishment and constitution of an authority for the purposes of management, conduct and regulation of the mela anywhere in the world and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Act, 2024.

(2) It extends to such mela area, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Authority" means the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority established under section 3;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(c) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Authority appointed under section 12;

(d) "green zone" means an area free from polythene, garbage and any such activity which may pollute environment and is contrary to Swachh Bharat Mission of the Central Government;

(e) "mela" means such mela which the State Government, by notification, in the Official Gazette, declare to be a mela for the purposes of this Act;

(f) "mela area" means any place used permanently or temporarily for holding or organising a mela and includes all lands and buildings appurtenant thereto;

(g) "mela period" means the period fixed by the Authority for holding the mela;

(h) "member" means a member of the Authority and includes the Chairperson, Senior Vice-Chairperson, Vice-Chairperson and Chief Executive Officer;

(i) "organiser" means a person, trust, society or company authorized by the Authority for organizing the mela;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "regulations" means regulations made by the Authority under this Act;

(l) "State Government" means the Government of the State of Haryana.

Establishment of Authority.

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette establish, for the purpose of this Act, an Authority to be called the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority.

(2) The Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power subject to the provisions of this Act to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to enter into contracts and shall by the said name sue or be sued.

Constitution of Authority.

4. (1) The Authority shall consist of the following members, namely :-

(a) Chief Minister, Haryana, Chairperson;

(b) Minister-in-Charge, Urban Local Bodies Department, Senior Vice-Chairperson ex-officio;

(c) one eminent and distinguished person, to be nominated by the State Government, Vice-Chairperson;

(d) Administrative Secretary, Finance Department, Member ex-officio;

(e) Administrative Secretary, Health Department, Member ex-officio;

(f) Administrative Secretary, Public Works (Building and Roads) Department, Member ex-officio;

(g) Administrative Secretary, Urban Local Bodies Department, Member ex-officio;

(h) Administrative Secretary, Information, Public Relations, Languages and Culture Department, Member ex-officio;

(i) Director General of Police, Haryana or an officer nominated by him, who shall not be below the rank of Additional Director General of Police (Law and Order), Member ex-officio;

(j) Deputy Commissioner, Kurukshetra, Member ex-officio;

(k) Vice-Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra, Member ex-officio;

(l) five eminent and distinguished persons, to be nominated by the State Government, Members;

(m) Chief Executive Officer, Member-Secretary.

(2) The allowances of nominated members shall be such, as may be specified by the regulations.

(3) A nominated member may resign from his office by giving notice in writing to the Chairperson and his office shall become vacant from the date of acceptance of his resignation by the Chairperson.

(4) The Authority may associate with itself in such manner and for such purposes, as may be determined by the regulations, any person whose assistance or advice, it may desire in complying with any of the provisions of the Act and the person so associated shall have the right to take part in the meeting of the Authority relevant to the purpose for which he has been associated but shall not be entitled to vote.

5. A person shall be qualified for being nominated as a member of the Authority, if he,- Qualifications.

(a) is a citizen of India;

(b) possesses good conduct and reputation and commands respect in the locality;

(c) is well versed with Hindu culture and teachings of Srimad Bhagavata Gita;

(d) is having minimum qualification of graduation from any recognized university or institution;

(e) is having experience in the field of art and culture;

(f) is a scholar of Hindu religious practices.

6. A person shall be disqualified for being nominated as a member of the Authority, if he is,- Disqualifications.

(a) of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(b) a deaf, dumb or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease;

(c) an undischarged insolvent;

(d) appearing as a legal practitioner against the Authority;

(e) sentenced by criminal court for an offence involving moral turpitude;

(f) an office holder or servant attached to the Authority;

(g) guilty of misconduct in the administration of the Authority;

(h) addicted to intoxicating liquors or drugs; or

(i) in the opinion of the State Government, acted against the interest of the Authority.

7. (1) The term of office of the nominated member shall be three years from the date on which he assumes office. Term of office.

(2) No member shall be nominated for more than two terms.

8. Any casual vacancy arising in the office of a nominated member by reason of his death, resignation, removal or disability or otherwise, before the expiry of his term of office shall be filled up within a period not exceeding six months from the date when such vacancy occurs, in such manner, as may be prescribed and such person shall hold office for the residual period of the term of the member in whose vacancy he has been nominated. Casual vacancy.

9. No act or proceedings of the Authority shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy, absence of member or defect in the constitution of the Authority. Proceedings not to be invalidated by vacancy.

10. (1) The headquarter of the Authority shall be at such place, as may be specified by the State Government. Office and meetings of Authority.

(2) The Authority shall hold at least one meeting in every three months;

(3) The time and place of meeting shall be such, as may be fixed by the Chairperson;

(4) A meeting of the Authority shall be presided over by the Chairperson or in his absence, by the Senior Vice-Chairperson or any member, as may be authorized by the Chairperson in this behalf.

(5) At least one-half of the members shall form the quorum.

(6) The Authority shall follow such rules of procedure for conduct of its meeting, as may be specified by the regulations.

11. (1) The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely: – Powers and functions of Authority.

(a) to popularize and disseminate the teachings of Srimad Bhagavad Gita;

(b) to organize cultural, educational seminars, workshops, fairs, exhibitions and conferences;

(c) to organize mela;

(d) to provide civic amenities in the mela area;

(e) to provide for health facilities in the mela area;

(f) to provide for supply of clean potable water in the mela area;

(g) to provide for supply of electricity in the mela area by temporary or permanent structure, as may be permissible and required;

(h) to provide for a police post for maintaining law and order in the mela area;

(i) to develop and maintain green zone in and around the mela area;

(j) to enter into agreement with persons for a short or long term lease to provide and create such infrastructure, as the Authority may decide for better management and administration of mela;

(k) to decide policy for the augmentation of revenue sources;

(l) to make arrangements for fund through grants from the State Government or other sources;

(m) any other function, as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

Chief Executive Officer.

12. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer of the Indian Administrative Services, having a minimum service of at least five years, as the Chief Executive Officer of the Authority.

(2) The Chief Executive Officer shall be paid out of the fund, such salary and allowances alongwith such other facilities, as may be fixed by the State Government.

(3) Whenever the Chief Executive Officer is on leave or is unable to discharge his duties, the State Government may appoint any other officer in his place to exercise the powers of the Chief Executive Officer until his return.

(4) The Chief Executive Officer shall exercise direct supervision and control over all officers and employees of the Authority.

Powers of Chief Executive Officer.

13. (1) Subject to the directions, control and supervision of the Authority, the Chief Executive Officer shall monitor the arrangements in respect of all matters relating to organising the mela and shall also have the power to order the organiser or officer for,-

(a) temporary allotment of space for various purposes during the mela period;

(b) protection of buildings situated in and around the mela area;

(c) supply of water and any other material for extinguishing the fire;

(d) prohibiting entry or use of any explosive material;

(e) removal of any suspected person suffering from dangerous infectious diseases from the mela area;

(f) disinfecting any house, residence, building, source of water supply or any other suspected source of infection;

(g) stopping or removing any person from entering the mela area for maintaining law and order;

(h) destruction of any food or other material injurious to human health and consumption;

(i) ensuring systematic and safe darshan by devotees at religious places of worship;

(j) arrangement of movable and permanent public facilities, medical facilities, electricity and water supply, security, transport and smooth services of the road; and

(k) to provide a traffic management plan in the mela area during the mela period.

(2) A copy of the order made under any clause of sub-section (1) shall be made available to the organizer or officer concerned.

Staff of Authority.

14. (1) The Authority may appoint such permanent and temporary staff, as it may require, with the approval of the State Government, in such manner and with such qualifications, as may be specified by the regulations.

(2) The salary, allowances payable to and the other terms and conditions of staff of the Authority appointed under sub-section (1) shall be such, as may be specified by the regulations.

(3) The staff shall be under the administrative and disciplinary control of the Chief Executive Officer.

(4) The Authority may obtain the services of the field level officers and employees of the departments of the State Government as well as officers and personnel of local bodies for management of mela who shall act under the guidance of the Chief Executive Officer and in case of non-performance by such officer or personnel, the Chief Executive Officer shall have the powers to recommend action against them, as per provisions of Acts and rules applicable to their services.

(5) The Chief Executive Officer may appoint, in such manner, for such temporary period and on such terms and conditions, such other staff, as he may consider necessary.

Fund.

15. (1) The Authority shall have a fund to which the following shall be credited, namely:-

(a) any grant received from the State Government or the Central Government;

(b) any fee, charges, toll and surcharges etc. received by the Authority under this Act;

(c) any trust, bequests, donations, endowments and other grants; and

(d) any other sums received on behalf of the Authority.

(2) The fund shall be applied for –

(a) defraying expenses for smooth functioning of the Authority;

(b) for organizing melas within or outside the State or anywhere in the world;

(c) providing amenities to the visitors;

(d) securing the health, safety and convenience of visitors;

(e) safety of articles, building and structures in the mela area;

(f) organizing cultural and educational seminars, workshops, exhibitions and conferences; and

(g) any other purpose as may be approved by the Authority.

Annual grants, loans and advances to Authority.

16. The State Government may make to the Authority grants, loans or advances of such sums of money annually, as the State Government may deem necessary and all such grants, loans or advances so made shall be on such terms and conditions, as the State Government may determine.

Accounts and audit.

17. (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, in such manner, as may be prescribed.

(2) The Directorate of Local Audit, Haryana or such authority, as specified by the State Government, by an order, shall audit the accounts annually.

Annual report.

18. The Chief Executive Officer shall prepare for every year a report of activities of the Authority during that year and submit it to the State Government in such form and on or before such date, as may be prescribed and the State Government shall cause the report to be laid before the State Legislature.

Operation of bank accounts.

19. (1) All the amounts payable to the credit of the fund shall be deposited in a separate account either in any nationalized bank or in a State Treasury.

(2) The fund shall be operated under the joint signatures of the Chief Executive Officer or such other officer authorised in this behalf by the Chief Executive Officer and Officer in-charge of the accounts deputed by the Finance Department.

Delegation of powers.

20. The Authority may, by an order in writing, delegate to the Chairperson or the Chief Executive Officer or any other officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such powers and functions under this Act, as it may deem necessary.

Authentication of orders.

21. All orders and decisions of the Authority shall be authenticated under the signatures of the Chairperson or any other officer authorized by the Authority in this behalf.

Protection of action taken in good faith.

22. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules or regulations made thereunder.

Power to make rules.

23. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

Power to make regulations.

24. (1) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall make regulations to carry out the purposes of this Act and uploaded the same on the website of the Authority.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following, matters, namely:–

(a) the manner in which the Authority may manage, organize and provide facilities;

(b) tolls on the parking of vehicle or entry of any vehicle or any person bringing goods for sale or for demonstration or advertisement into the mela area;

(c) fee on the registration of activity of business, trade or profession;

(d) fee on the services provided to individual as service charge;

(e) any other charge and fee in mela area as the Authority thinks fit and necessary in the interest of the mela;

(f) any other matter which has to be or may be specified by regulations.

(3) The Authority may, from time to time, amend or repeal any regulation and each such regulation, its amendment or repeal, as the case may be, shall come into effect from the date of its uploading on the website of the Authority.

Punishment for offences.

25. (1) Whoever,-

(a) makes any unauthorised construction; or

(b) uses any unauthorised place as a latrine, urinal or rubbish dump; or

(c) plies any profession, trade or calling without a license obtained under the provisions of this Act or bye-laws or commits a breach of the conditions of such license; or

(d) contravenes any of the provisions of the Act or of any rules or regulations made under this Act; or

(e) disobeys any order or direction in writing, lawfully issued under this Act,

shall be punished with a simple imprisonment for a term of one month but which may extend upto three months or with a fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend upto ten thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by the Chief Executive Officer or any other officer or official authorized by him.

Applicability of Haryana Municipal Act, 1973 and Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

26. The State Government may, by notification in the Official Gazette confer upon the Authority any of the powers of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and upon issuance of such notification, the provisions of the sections shall apply to the mela area as if the mela area is the part of a municipality and the Officer In-charge of the Authority is District Municipal Commissioner or Commissioner Municipal Corporation, as the case may be and if there is a contravention of any of the provisions, the same shall be deemed to be a contravention of the said Act.

Power of State Government to give directions.

27. The State Government may, from time to time, give such general or specific directions, in writing, to the Authority for the effective implementation of the provisions of this Act.

Dissolution of Authority.

28. (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Authority was established under this Act have been substantially achieved so as to render the continued existence of the Authority in the opinion of the State Government as unnecessary or the Authority is not competent to perform or persistently makes default in the performance of duties imposed on it by or under this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) From the said date-

(a) all assets, properties, funds and dues which are vested in or realisable by the Authority shall vest in or be realisable by the State Government;

(b) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the State Government; and

(c) for the purpose of carrying out any development which has not been fully carried out by the Authority and for the purpose of realising assets, properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Authority shall be discharged by the State Government.

29. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty: Power to remove difficulties.

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As per the Indian tradition, Lord Krishna delivered the eternal message of Srimad Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield of Mahabharata in Kurukshetra. This event is believed to have occurred 36 years prior to the beginning of Kalyuga. Therefore, 5160 years have passed since Lord Krishna delivered the divine message of Srimad Bhagavad Gita. As per the Hindu calendar, Gita Jayanti is celebrated on the 11th day of the bright fortnight (Shukla Paksha) of the month of Margashirsha, which falls sometimes in November and sometimes in December.

2. In order to safeguard the ancient heritage and traditions of Kurukshetra, the Haryana Government established the Kurukshetra Development Board on 1st August, 1968. The Board has been celebrating the Gita Jayanti Mahotsav in Kurukshetra since 1989. Since 2016, the Government of Haryana, in collaboration with the Kurukshetra Development Board, has been celebrating the Gita Jayanti Mahotsav as the International Gita Mahotsav. The aim of this Mahotsav is to share the eternal message of peace, harmony, and universal brotherhood that is found in the Bhagavadgita with people around the world.

3. The Mahotsav is a festival celebrated for eighteen days in Kurukshetra, also known as Dharamakshetra or the land of righteousness. This Mahotsav provides an opportunity to showcase the great cultural, religious, historical, and spiritual traditions associated with the region. Apart from Kurukshetra, the festival is also celebrated for three days throughout the State of Haryana. The Mahotsav has also been organised outside India in places such as the Republic of Mauritius (February, 2019), United Kingdom (August, 2019), Canada (2022), and Australia (2023).

4. A large number of devotees and people at large, both from the country and abroad, enthusiastically involve themselves with the local people during the period of Mahotsav.

5. Currently, there is no independent authority/body in the State to organize the Gita Jayanti Mahotsav. The State Government has felt the necessity for the establishment and constitution of a statutory authority in the State for management, regulation and organising the Antrarashtriya Gita Mahotsav in a proper and cogent manner as well as to provide better facilities to the pilgrims and visitors during the Mahotsav period. The main functions of the Authority will be to popularise and disseminate the teachings of Srimad Bhagavad Gita as well as organise cultural and educational seminars, workshops, fairs, exhibitions and conferences. Further, it will provide all the essential facilities to the devotees or pilgrims and will have powers & duties as mentioned in the said proposed Bill in the public interest.

6. Therefore, it has been felt necessary to enact the Haryana Antrarashtriya Gita Jyanti Mela Authority Bill, 2024. Hence, the Bill.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 19th February, 2024.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 23 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of a normal character. Hence, the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2024 का विधेयक संख्या 3–एच०एल०ए०

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024
मेले के प्रबन्धन, संचालन तथा विनियमन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा गठन हेतु तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार ऐसे मेला क्षेत्र तक होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण;

(ख) "अध्यक्ष'' से अभिप्राय है, प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ग) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 12 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी;

(घ) "हरित अंचल'' से अभिप्राय है, पॉलिथीन, कूड़ा–कर्कट और ऐसी कोई गतिविधि, जो पर्यावरण को प्रदूषित करे तथा जो केन्द्रीय सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के प्रतिकूल हो, से मुक्त कोई क्षेत्र;

(ङ) "मेला'' से अभिप्राय है, ऐसे मेले, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु मेला के रूप में घोषित करे;

(च) "मेला क्षेत्र'' से अभिप्राय है, किसी मेले का संचालन या आयोजन करने के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग किया गया कोई स्थान और इसमें सभी भूमियां और उससे आसक्त भवन भी शामिल हैं;

(छ) "मेला अवधि'' से अभिप्राय है, मेले का आयोजन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियत अवधि;

(ज) "सदस्य'' से अभिप्राय है, प्राधिकरण का सदस्य और इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं;

(झ) "आयोजक'' से अभिप्राय है, मेले का आयोजन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, न्यास, सोसाइटी या कम्पनी;

(ञ) "विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ट) "विनियम'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम;

(ढ) "राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

प्राधिकरण की स्थापना।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण को स्थापित करेगी।

(2) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाला निगमित निकाय होगा तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा तथा उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

4. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:— प्राधिकरण का गठन।

(क)	मुख्य मन्त्री, हरियाणा	:	अध्यक्ष
(ख)	कार्यभारी मन्त्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	:	पदेन वरिष्ठ उपाध्यक्ष
(ग)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति	:	उपाध्यक्ष
(घ)	प्रशासकीय सचिव, वित्त विभाग	:	पदेन सदस्य
(ङ)	प्रशासकीय सचिव, स्वास्थ्य विभाग	:	पदेन सदस्य
(च)	प्रशासकीय सचिव, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग	:	पदेन सदस्य
(छ)	प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग	:	पदेन सदस्य
(ज)	प्रशासकीय सचिव, सूचना, जन सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग	:	पदेन सदस्य
(झ)	पुलिस महानिदेशक, हरियाणा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था) की पदवी से नीचे का न हो	:	पदेन सदस्य
(ञ)	उपायुक्त, कुरूक्षेत्र	:	पदेन सदस्य
(ट)	कुलपति, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	:	पदेन सदस्य
(ठ)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाँच प्रख्यात तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति	:	सदस्य
(ड़)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	:	सदस्य–सचिव

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्ते ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उसका पद, अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि से रिक्त हो जाएगा।

(4) प्राधिकरण ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकता है, जिसकी सहायता या परामर्श अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना में यह चाहे तथा इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को सुसंगत प्रयोजन, जिसके लिए उसे सहयोजित किया गया है, प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने हेतु हकदार नहीं होगा।

5. निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हक होगा, यदि वह,— योग्यताएं।

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) अच्छा आचरण और प्रतिष्ठा वाला है तथा परिक्षेत्र में सम्मान का पात्र है;

(ग) हिन्दू संस्कृति तथा श्रीमद्भगवत गीता की शिक्षाओं से निष्णात है;

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की न्यूनतम योग्यता रखता है;

(ङ) कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में अनुभव रखता है;

(च) हिन्दू धार्मिक प्रथाओं का विद्वान है।

6. ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने हेतु अयोग्य होगा, यदि वह,— अयोग्यताएं।

(क) विकृत चित्त है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ख) मूक, बधिर है या संक्रामक कुष्ठ या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से ग्रस्त है;

(ग) उन्मोचित दिवालिया है;

(घ) प्राधिकरण के विरूद्ध विधिक व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है;

(ङ) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दाण्डिक न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है;

(च) प्राधिकरण से आसक्त कोई पदधारी या सेवक है;

(छ) प्राधिकरण के प्रशासन में कदाचार का दोषी पाया गया है;

(ज) मादक मदिरा या नशे का आदी है; या

(झ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण के हित के विरुद्ध कार्य किया है।

पदावधि।

7. (1) नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, ऐसी तिथि से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष होगी।

(2) किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक अवधियों के लिए नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

आकस्मिक रिक्ति।

8. किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य का पद उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाने या निःशक्तता या अन्यथा के कारण कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, उस तिथि, जब ऐसी रिक्ति हुई है, से छह मास की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भरी जाएगी और ऐसा व्यक्ति, उस सदस्य, जिसकी रिक्ति के लिए वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

रिक्ति के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना।

9. प्राधिकरण के कार्य या कार्यवाहियाँ, मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने, केवल किसी सदस्य की अनुपस्थित या प्राधिकरण के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

प्राधिकरण का कार्यालय तथा बैठकें।

10. (1) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) प्राधिकरण, प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगा।

(3) बैठक का समय तथा स्थान ऐसा होगा, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए।

(4) प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(5) गणपूर्ति कम से कम आधे सदस्यों से होगी।

(6) प्राधिकरण, अपनी बैठकों के संचालन के लिए ऐसे प्रक्रिया नियमों का अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

प्राधिकरण की शक्तियां तथा कृत्य।

11. (1) प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) श्रीमद्भगवत गीता की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना और उनका प्रसार करना;

(ख) सांस्कृतिक, शैक्षणिक सेमिनारों, कार्यशालाओं, मेलों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन करना;

(ग) मेलों का आयोजन करना;

(घ) मेला क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ङ.) मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(च) मेला क्षेत्र में स्वच्छ पीने योग्य जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना;

(छ) स्थायी या अस्थायी संरचना, जो स्वीकार्य तथा आवश्यक हो, द्वारा मेला क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करना;

(ज) मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकी की व्यवस्था करना;

(झ) मेला क्षेत्र में और इसके आस—पास हरित अंचल का विकास तथा रख—रखाव करना;

(ञ) ऐसी अवसंरचना, जो प्राधिकरण मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा प्रशासन हेतु विनिश्चय करे, की व्यवस्था तथा सृजन करने के लिए अल्पकालिक या दीर्घकालिक पट्टे हेतु व्यक्तियों के साथ करार करना;

(ट) राजस्व स्रोतों में वृद्धि के लिए नीति विनिश्चित करना;

(ठ) राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से अनुदान के माध्यम से निधि के लिए व्यवस्था;

(ढ) कोई अन्य कृत्य, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक हों।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

12. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कम से कम पाँच वर्ष की न्यूनतम सेवा रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निधि में से ऐसी अन्य सुविधाओं सहित ऐसा मासिक वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किए जाएं।

(3) जब कभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवकाश पर है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार उसके वापस आने तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकती है।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां।

13. (1) प्राधिकरण के निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मेले के आयोजन से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में व्यवस्थाओं की निगरानी करने और आयोजक या अधिकारी को निम्नलिखित आदेश देने की भी शक्तियां होंगीः—

(क) मेला अवधि के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्थल का अस्थायी आबंटन करने;

(ख) मेला क्षेत्र में और इसके आस–पास अवस्थित भवनों की सुरक्षा करने;

(ग) आग बुझाने के लिए जल तथा किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करने;

(घ) किसी विस्फोटक सामग्री के प्रवेश या उपयोग को वर्जित करने;

(ङ) मेला क्षेत्र से खतरनाक संक्रामक रोगों से पीड़ित किसी संदिग्ध व्यक्ति को हटाने;

(च) किसी गृह, आवास, भवन, जल आपूर्ति के स्रोत या संक्रमण के किसी अन्य संदिग्ध स्रोत को रोगाणुनाशन करने;

(छ) विधि–व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को मेला क्षेत्र में प्रवेश से रोकने या हटाने;

(ज) मानव स्वास्थ्य तथा उपभोग के लिए हानिकारक किसी खाद्य या अन्य सामग्री को नष्ट करने;

(झ) पूजा के धार्मिक स्थलों पर देवताओं के सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित दर्शन करवाने को सुनिश्चित करने;

(ञ) गतिशील तथा स्थायी जन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं, बिजली तथा जल आपूर्ति, सुरक्षा, परिवहन और सड़कों की सुचारू सेवाओं की व्यवस्था करने; तथा

(ट) मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में यातायात प्रबन्धन योजना उपलब्ध करने।

(2) उप–धारा (1) के किसी भी खण्ड के अधीन किए गए आदेश की प्रति आयोजक या सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्राधिकरण का अमला।

14. (1) राज्य सरकार के अनुमोदन से, प्राधिकरण, ऐसे स्थायी और अस्थायी अमले, जो इसे आवश्यक हो, को ऐसी रीति में और ऐसी अर्हताओं सहित, जो विहित की जाएं, नियुक्त कर सकता है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अमले को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) अमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।

(4) प्राधिकरण, मेले के प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार के विभागों के क्षेत्रीय स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ स्थानीय निकायों के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त कर सकता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेंगे और ऐसे अधिकारी या कार्मिक द्वारा अनुपालना के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उनकी सेवाओं को लागू अधिनियमों और नियमों के उपबन्धों के अनुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश करने की शक्तियां होगी।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऐसी रीति में, ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, ऐसे अन्य अमले, जो वह आवश्यक समझे, को नियुक्त कर सकता है।

निधि ।

15. (1) प्राधिकरण की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित जमा करवाया जाएगा, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कोई अनुदान;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कोई फीस, प्रभार, पथ कर तथा अधिभार इत्यादि;

(ग) कोई न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान; तथा

(घ) प्राधिकरण की ओर से प्राप्त की गई कोई अन्य धनराशियाँ।

(2) निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगाः—

(क) प्राधिकरण के सुचारू कार्य संचालन हेतु खर्च चुकाने में;

(ख) राज्य के भीतर या बाहर या विश्व में किसी भी स्थान पर मेले का आयोजन करने हेतु;

(ग) आगंतुकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में;

(घ) आगंतुकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सहूलियत सुनिश्चित करने में;

(ङ) मेला क्षेत्र में सामग्रियों, भवन और संरचनाओं की सुरक्षा करने में;

(च) सांस्कृतिक, शैक्षणिक सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों का आयोजन करने में; तथा

(छ) किसी अन्य प्रयोजन, जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाए।

प्राधिकरण को वार्षिक अनुदान, ऋण तथा अग्रिम।

16. राज्य सरकार, प्राधिकरण को प्रतिवर्ष ऐसी धनराशियों का अनुदान, ऋण या अग्रिम दे सकती है, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे और इस प्रकार दिए गए सभी अनुदान, ऋण या अग्रिम ऐसे निबंधनों और शर्तों पर होंगे, जो राज्य सरकार अवधारित करे।

लेखे और लेखा–परीक्षा।

17. (1) प्राधिकरण ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

(2) निदेशालय, स्थानीय लेखा–परीक्षा, हरियाणा या राज्य सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकरण, लेखों की प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षा करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

18. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रतिवर्ष उस वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार को, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी तिथि, जो विहित की जाए, को या से पूर्व प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रिपोर्ट रखवाएगी।

बैंक खातों का संचालन।

19. (1) निधि में भुगतान योग्य सभी राशियाँ या तो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या राज्य के खजाना में एक अलग खाते में जमा करवाई जाएंगी।

(2) निधि, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी और वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त लेखों के प्रभारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के अधीन संचालित की जाएगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

20. प्राधिकरण, लिखित में आदेश द्वारा, अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य, जो यह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

आदेशों का प्रमाणीकरण।

21. प्राधिकरण के सभी आदेश तथा निर्णय, अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन प्रमाणीकृत किए जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसरण में की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

23. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

24. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाएगा और उन्हें प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किए जा सकते हैं, अर्थात्:–

(क) रीति, जिसमें प्राधिकरण सुविधाओं का प्रबन्ध, आयोजन तथा व्यवस्था कर सकता है;

(ख) मेला क्षेत्र में वाहन की पार्किंग या किसी वाहन के प्रवेश या किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय अथवा प्रदर्शन के लिए लाए जा रहे मालों या विज्ञापन पर पथकर;

(ग) कारबार, व्यापार या वृत्ति की गतिविधि के पंजीकरण पर फीस;

(घ) सेवा प्रभार के रूप में व्यक्तिक को उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर फीस;

(ङ) मेला क्षेत्र में कोई अन्य प्रभार तथा फीस, जो प्राधिकरण मेले के हित में उचित और आवश्यक समझे;

(च) कोई अन्य मामला, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण, समय–समय पर, किसी भी विनियम का संशोधन अथवा निरसन कर सकता है और ऐसा प्रत्येक विनियम, इसका संशोधन अथवा निरसन, जैसी भी स्थिति हो, प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसको अपलोड करने की तिथि से लागू होगा।

25. (1) जो कोई भी, – अपराधों के लिए दण्ड।

(क) किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण करता है; या

(ख) किसी अनधिकृत स्थान को शौचालय, मूत्रालय या कचरे के ढेर के रूप में प्रयोग करता है; या

(ग) इस अधिनियम या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना कोई भी व्यवसाय, व्यापार या काम–धन्धा शुरू करता है या ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करता है; या

(घ) अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना करता है; या

(ड.) इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक लिखित में जारी किए गए किसी भी आदेश या निर्देश की उल्लघंना करता है,

तो साधारण कारावास, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी किन्तु जो तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने, जो कम से कम दो हजार रूपए का हो सकेगा किन्तु जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायत के सिवाय, किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

26. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर, धाराओं के उपबन्ध मेला क्षेत्रों पर लागू होंगे मानो कि मेला क्षेत्र नगरपालिका का ही हिस्सा है और प्राधिकरण का प्रभारी अधिकारी यथा स्थिति, जिला नगर आयुक्त या आयुक्त नगर निगम है और किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना की जाती है, तो उसे उक्त अधिनियम की उल्लंघना माना जाएगा। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 का लागू होना।

27. राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को लिखित में ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देश दे सकती है। राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति।

28. (1) जहाँ राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि प्रयोजन, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, वह काफी हद तक प्राप्त कर लिए गए है, इसलिए अब राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का निरन्तर अस्तित्व में बना रहना अनावश्यक हो गया है या इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्राधिकरण को उसको सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में प्राधिकरण सक्षम नहीं है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि ऐसी तिथि, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, से प्राधिकरण विघटित हो जाएगा। प्राधिकरण का विघटन।

(2) उक्त तिथि से –

(क) सभी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो प्राधिकरण में निहित हैं या द्वारा वसूली योग्य हैं, राज्य सरकार में निहित होंगे या द्वारा वसूली योग्य होंगे;

(ख) सभी दायित्व, जो प्राधिकरण के विरूद्ध प्रवर्तनीय है, राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय होंगे; और

(ग) किसी भी विकास को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु, जिसे प्राधिकरण द्वारा पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया और खण्ड (क) में निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों, निधियों और देयों की वसूली के प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

29. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाई दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. भारतीय परम्परा के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने कुरूक्षेत्र में महाभारत के युद्धक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का शाश्वत सन्देश दिया था। यह प्रसंग कलयुग के शुरू होने से लगभग 36 वर्ष पहले घटित हुआ माना जाता है। तदानुसार, 5160 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता का सन्देश दिया गया था। हिन्दू कलैन्डर के अनुसार गीता जयन्ती मार्गशीर्ष माह के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है जो कि कभी नवम्बर मास अथवा कभी दिसम्बर मास में आती है।

2. कुरूक्षेत्र की पुरानी विरासत तथा परम्परा को बचाने हेतु, हरियाणा सरकार द्वारा 01 अगस्त, 1968 को कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 से कुरूक्षेत्र में गीता जयन्ती महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से श्रीमद् भगवद् गीता का महोत्सव वर्ष 2016 से अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव द्वारा शाश्वत शांति सन्देश, सद्भाव एवं भाईचारा जो श्रीमद् भगवद् गीता में विद्यमान है, को पूरे ब्रह्माण्ड में साझा करने का उद्देश्य है।

3. यह महोत्सव कुरूक्षेत्र, जिसको धर्मक्षेत्र या धार्मिक भूमि भी कहा जाता है, में 18 दिन तक मनाया जाता है। यह महोत्सव कुरूक्षेत्र की भूमि से जुड़ी महान सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं को दर्शाने का मौका देता है। कुरूक्षेत्र के अतिरिक्त, पूरे हरियाणा राज्य में भी यह महोत्सव 03 दिन के लिये मनाया जाता है। यह महोत्सव भारत से बाहर जैसे कि मारीशस गणराज्य (फरवरी, 2019), युनाइटेड किंगडम (अगस्त, 2019), कनाडा (2022) तथा आस्ट्रेलिया (2023) में भी आयोजित किया गया है।

4. इस महोत्सव की अवधि के दौरान देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में लोग व श्रद्धालु अपने आप को स्थानीय लोगों के साथ उत्साहपूर्वक सम्मिलित करते हैं।

5. वर्तमान में गीता जयंती महोत्सव को आयोजित करने के लिए राज्य में कोई स्वतन्त्र प्राधिकरण/निकाय नहीं है। राज्य सरकार महसूस करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रबन्धन एवं विनिमयन हेतु एक प्रभावी प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ठीक एवं सही तरीके से हो सके तथा तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को महोत्सव के दौरान बेहतर सुविधायें प्रदान की जा सके। प्राधिकरण का मुख्य कार्य श्री मद् भगवद् गीता की शिक्षा को प्रसारित करना एवं लोकप्रिय बनाना तथा साथ ही सांस्कृतिक, शैक्षिक सेमिनार, कार्यशालायें, मेले, प्रदर्शनियां एवं सम्मेलनों का आयोजन करना होगा। आगे, यह श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सेवायें मुहैया करवायेगा और इसके पास जनहित में इस प्रस्तावित विधेयक में वर्णित सभी शक्तियाँ एवं कर्तव्य होंगे।

6. इसलिए, हरियाणा अन्तर्राष्ट्रीय गीता जयन्ती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 को अधिनियमित करना आवश्यक है। अतः यह विधेयक।

डॉ० कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 19 फरवरी, 2024.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 23 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।

10896—H.V.S.—H.G.P., Pkl.